

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रावतसर

प्रार्थीगण  
1. भैराराम पुत्र मोडाराम 2 मूलीदेवी पत्नी मोडाराम जातियान जाट निवासीयान रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर

वनाम

विप्रार्थीगण

1. हुकमाराम पुत्र रेखाराम 2 चेनाराम पुत्र रेखाराम 3 कंवराराम पुत्र चुतराराम 4 रामूराम पुत्र सताराम 5 रामकिशन पुत्र सताराम 6 तुलसी पत्नी सताराम जातियान जाट 7 चूनाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी करना भूका 8 ऊमाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी रावतसर पूर्व 9 मालुदेवी पत्नी मेघाराम 10 मोहनराम पुत्र पेमाराम 11 डालूराम पुत्र पेमाराम 12 हिरोदेवी पत्नी पेमाराम 13 कालूराम पुत्र मालाराम 14 कंवराराम पुत्र मालाराम 15 लक्ष्मीदेवी पत्नी मालाराम 16 मूलीदेवी पत्नी कालूराम 17 भंवरीदेवी पत्नी कंवराराम जातियान जाट निवासीयान रावतसर पूर्व 18 मगाराम पुत्र गोमाराम 19 देराजराम पुत्र ताजाराम 20 भोपाराम पुत्र ताजाराम 21 वाताराम पुत्र धुडाराम 22 पूनमाराम पुत्र धुडाराम 23 नेनुदेवी पत्नी धुडाराम जातियान जाट निवासीयान रामसर का कुंआ 24 मेघाराम पुत्र मुकनाराम 25 हेमाराम पुत्र मुकनाराम 26 ईंमरती पत्नी मुकनाराम 27 नन्दराम पुत्र हरखाराम जातियान जाट निवासी रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-98/2021 दिनांक-08.11.2021

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा रावतसर पूर्व पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 258 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नंबर 275 रकबा 32.06 बीघा खसरा नंबर 1567/272 रकबा 21.17 बीघा खसरा नंबर 1677/279 रकबा 14.12 बीघा, खसरा नंबर 1681/257 रकबा 19.06 बीघा खसरा नंबर 1684/268 रकबा 5.15 बीघा कुल रकबा 94.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षाकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6202-6205  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

दिनांक- 08/11/2021

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी को कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी भैराराम पुत्र मोडाराम दगैराह जाति जाट निवासी रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण हुकमाराम पुत्र रेखाराम बगैराह जाति जाट निवासी रावतसर पूर्व तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर